प्रेस विज्ञप्ति

12.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने चाइनीज ऋण ऐप मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जू फेई, चीनी नागरिक व अन्य से संबंधित 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में 3.12 करोड़ रुपये की बैंक जमाराशि/सावधि जमा तथा एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में स्थित रवि नटवरलाल ठक्कर, मुख्य आरोपी जू फेई व अन्य के करीबी सहयोगी के लाभकारी स्वामित्व वाली 60 लाख रुपये (लगभग) कीमत की एक अचल संपत्ति (आवासीय फ्लैट) शामिल हैं।

ईडी ने भा.दं.सं., 1860, विदेशी अधिनियम, 1946 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, गौतम बुद्ध नगर द्वारा दर्ज प्राथमिकी और तदुपरांत आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि चीनी नागरिक ज़ू फेई भारत में अवैध रूप से रह रहा था और वह रवि नटवरलाल ठक्कर और अन्य के साथ मिलकर रा.रा.क्षे. के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से चीनी नागरिकों के लिए, विशेष रूप से वे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते थे और रहते थे के लिए मेसर्स लकिन क्लब प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स तियानशांग रेनजियन प्राइवेट लिमिटेड नामक दो होटलों और क्लबों का संचालन और नियंत्रण कर रहा था। जू फेई और उसके कार्टेल द्वारा इन होटलों में जुआ और कम उम्र की लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति जैसी विभिन्न अवैध गतिविधियाँ/सेवाएँ चलाई जा रही थीं।

उन्होंने कठपुतली/डमी निदेशकों वाली कई कागजी/फर्जी कंपनियाँ खोली थीं और ऐसी कंपनियों की छत्रछाया में रुपया प्लस, लकी वॉलेट, फ्लैश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा, राधा मनी आदि जैसे विभिन्न तत्काल ऋण ऐप संचालित कर रहे थे। वे उधारकर्ताओं से भारी ब्याज दर वसूल रहे थे और ईएमआई के भुगतान में देरी होने पर उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा प्राप्त कर लेते थे और ऋण वसूली की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल करते थे और धमकाते थे। इस तरह उन्होंने पूरे भारत में लोगों/उधारकर्ताओं को धोखा दिया और करोड़ों रुपये की बड़ी रकम एकत्र की, जिसे उन्होंने चीनी कार्टेल द्वारा नियंत्रित फर्जी/कागजी/शेल कंपनियों के माध्यम से अवास्तविक लेनदेन के माध्यम से कंपनियों के समूहों में डाल दिया। वे ई-कचरे के अवैध व्यापार और उससे पीसीबी/मोबाइल चिप/मदर बोर्ड आदि निकालने में भी शामिल थे।

इससे पहले 13.06.2024 को इस मामले में 13.51 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। अब इस मामले में कुर्की की कुल राशि 17.23 करोड़ रुपये हो गई है।

आगे की जांच जारी है।